

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/51

दिनांक :- 30.05.2023

राजस्व वाद सं. 46 /2023

GCMS No. #2023/142

उनवान प्रकरण :- हनुमानराम बिजारणियां बनाम तहसीलदार

-: आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का आनन्दपुरा व भूअ.नि. जिलिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	आनन्दपुरा	91	हनुमानराम पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानराम बिजारणियां पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार
2	आनन्दपुरा	305	हनुमानराम पुत्र भोलाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार	हनुमानराम बिजारणियां पुत्र भोलाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार
3	आनन्दपुरा	306	हनुमानराम पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन-1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी	हनुमानराम बिजारणियां पुत्र भोलाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन-1/2 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी

क्रमांक/2023/52-53

दिनांक :- 30.05.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी हनुमानराम बिजारणियां पुत्र भोलाराम जाट सा. आनन्दपुरा तह. कुचामनसिटी को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

